2023/248

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

नरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

लय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

कदमा	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
188 -पत्र	53/2023	10/10/2023		31/10/2023

अनवान

श्री नाथु s/o बीसा जाति धाकड़ निवासी मांजी साहब का खेड़ा, बिजौलिया

श्री मदनलाल s/o नाथुलाल जाति धाकड़ निवासी मांजी साहब का खेड़ा, बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

श्री रामफूल धाकड़

मदयून

श्री मुकेश कुमार धाकड़

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

नायु s/o धीसा बनाम मदनलाल s/o नानूलाल

किस्म मुकदमा ~~53/2023~~ 183-188 नम्बर 53 सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता… अहकाम जो… हुक्म की ता… में जारी हुए
10.10.2023	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 31/10/2023 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
31/10/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 19/12/23 को वास्ते साक्ष्य पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
19/12/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। विपक्षीगणों की बाद तामील प्राप्त हुई, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में विपक्षीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 23/01/24 को पेश हो।	
23/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 20/2/24 को वास्ते साक्ष्य वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/8/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 10/9/24 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
10/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 26/9/24 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
26/9/24	पत्रावली पेश हुई विपक्षी (1,2) की तरफ से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने No Onstruction किया एवं बताया की वह पत्रावली में किसी प्रकार की कार्यवाही/Objection नहीं चाहते हैं। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी आगामी दिनांक 22/10/24 को पेश हो।	NO Inst[illegible]
22/10/24	[illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 13/11/24 को वास्ते साक्ष्य पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
13/11/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी आगामी दिनांक 04/12/24 को पेश हो।	
4/12/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 19/12/24 को वास्ते साक्ष्य वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म में जा
13/1/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी आगामी दिनांक 28/01/25 को पेश हो।	
28/01/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी आगामी दिनांक 13/02/25 को पेश हो।	
13/2/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 6/3/25 को सा. वा. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी वादी के साक्ष्य लेखबद्ध किए गए।	
6/3/25	पत्रावली पेश हुई वादी ने साक्ष्य नहीं करवाना चाहता है पत्रावली में साक्ष्य के अवसर समाप्त किए जाकर पत्रावली में साक्ष्य बंद किया जाता है पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस आगामी दिनांक 11/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भील.)	
11-3-25	पत्रावली पेश हुई। अ... वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान ...र पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 13/3/25 निर्णय/बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
13/3/25	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली को स्वीकार कर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भील.)	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 53/2023

दायर तारीख 10.10.2023

अनवान्

1 नाथु पुत्र धीसा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी मांजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
2 पन्ना पुत्र धीसा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी मांजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

......वादीगण।

बनाम्

1 मदनलाल पुत्र नाथूलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी मांजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
2 रामलाल पुत्र नाथूलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी मांजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
3 भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

........प्रतिवादीगण।

उपस्थित :– 1. श्री रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री मुकेश धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 19/03/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री रामफूल धाकड़ वादपत्र **अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की कृषि भूमि ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा भू.अ.नि.क्षेत्र बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 1206/1 रकबा 0.0728 हैक्टेयर भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार होकर उनके उपयोग उपभोग में चली आ रही है तथा वादीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं लगान राज्य सरकार में जमा करवाते आ रहे हैं।

प्रतिवादीगण वादग्रस्थ आराजी के पड़ौसी है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार निहीत नहीं है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण को रहन या विक्रय नहीं की है परन्तु प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के पड़ौसी होने से हकाई बुआई करते समय लड़ाई–झगड़ा मारपीट करने पर उतारू रहते हैं। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जब वादीगण आराजी संख्या 1206/1 रकबा 0.0728 हैक्टेयर पर काश्त करने गये तो वादीगण को वादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं करने दी एवं लड़ाई–झगड़ा करने व मारपीट करने पर उतारू हो गये व धमकी दी की तुम्हे फसल काश्त नहीं करने देगें।

प्रतिवादीगण के कृत्य से परेशान होकर वादीगण ने पत्थरगढ़ी आदेश प्राप्त किया। पत्थरगढ़ी आदेश की पालना में दिनांक 22.05.2023 को वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढ़ी पटवार हल्का एवं भू.अभि.नि. द्वारा मौके पर वादग्रस्त आराजी के निशानात कायम किये गये जिनको भी प्रतिवादीगण ने हटा दिये तथा वादीगण की वादगस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का रकबा 0.0180 हैक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। इस प्रकार प्रतिवादीगणं ने वादग्रस्त आराजी को अपनी आराजी में मिला लिया है। पत्थरगढ़ी कराने के बावजूद भी प्रतिवादीगण अपना अवैध कब्जा व अतिकमण हटाने को तैयार नहीं है एवं वादग्रस्थ आराजी पर विधि विरूद्ध अवैध कब्जा कर रखा है।

वादीगण अनुतोष चाहते है:–

इस आशय की बेदखली की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें कि ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा तहसीलद बिजौलियां की सरहद में स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 1206/1 रकबा 0.0728 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादीगण को रकबा 0.0180 हैक्टेयर भूमि

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भील.)

मे से बेदखल किया जावें एवं वादग्रस्थ आराजी का कब्जा वादीगण को पुनः सिपुर्द किये जाने की डिक्री फरमाई जावें। साथ ही इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किये जाने के बाद वादीगण वादग्रस्थ आराजी पर पुनः कब्जा नहीं करें वादीगण को बेदखल नहीं करें। कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नहीं करें न किसी अन्य से करावें।

वादपत्र दिनांक 10.10.2023 दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण बाद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। विपक्षीगण के तरफ से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने आदेश 9 नियम 07 पेश किया एवं पत्रावली को द्विपक्षीय करने का निवेदन किया गया जिसे स्वीकार किया गया। पत्रावली का जबाब दावा के स्तर पर रखा गया गया। परन्तु कई अवसर बीत जाने पर भी विपक्षी अधिवक्ता ने जबाब पेश नहीं किया एवं पत्रावली मे नो ओब्जेकशन किया एवं हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात् पत्रावली को साक्ष्यवादी के स्तर पर रखा गया। वादी नाथू लाल के बयान लेखबद्ध किए जो शामिल पत्रावली है। वादी ने बयान में वही बातें बताई जो वाद पत्र में अंकित की गई है। वादी के बयान संलग्न पत्रावली है। पत्रावली को बहस/निर्णय के स्तर पर रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता रामफूल धाकड की बहस पर मनन किया। साथ में संलग्न मौका पर्चा का अध्ययन किया जिसमें जाहिर होता है कि विपक्षीगणों ने ग्राम नयागांव की आराजी 1206/1 रकबा 0.0728 हैक्टेयर भूमि में से 0.0180 हैक्टेयर भूमि पर ने कब्जा कर रखा है। विपक्षीगणों ने न्यायायलय में किसी प्रकार का जवाब भी पेश नहीं किया। वादीगण ने वादपत्र के साथ नकल जमावंदी सम्वत् 2073 से 2076 एवं पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि:–

–: आदेश :–

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** कर बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी ड़िक्री करने के आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा भू.अ.नि.क्षेत्र बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 222 में अंकित खसरा नम्बर 1206/1 क्षेत्रफल 0.0728 कुल खसरा 01 कुल क्षेत्रफल 0.0728 क्षेत्रफल किस्म बारानी तृतीय में से **0.0180** हैक्टेयर भूमि जिस पर विपक्षीगण मदनलाल एवं रामलाल का कब्जा है उस पर से मदनलाल पुत्र नाथूलाल एवं रामलाल पुत्र नाथूलाल को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। साथ ही विपक्षीगणों को निर्देशित किया जाता है कब्जा सिपुर्द करने के पश्चात् वादग्रस्थ खसरे पर दखलअन्दाजी ना करें न ही किसी अन्य से करावें। विवादित आराजी से वादीगण को पुनः बेदखल ना करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण दी जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार ड़िक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 19/03/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार
मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 53/2023

दायर तारीख 10.10.2023

अनवान्

1. नाथु पुत्र घीसा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी मांजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
2. पन्ना पुत्र घीसा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी मांजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

........डिकीदार।

बनाम्

1. मदनलाल पुत्र नाथूलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी मांजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पुत्र नाथूलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी मांजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

........मदयून।

उपस्थित :– 1. श्री रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता डिकीदार।
2. श्री मुकेश धाकड़ – अधिवक्ता मदयून।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 19/03/2025

डिकी दिनांक 19/03/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान श्री रामफूल धाकड़ अधिवक्ता वादीगण उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** कर बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी ड़िक्री किया जाता हैं कि ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा भू.अ.नि.क्षेत्र बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 222 में अंकित खसरा नम्बर 1206/1 क्षेत्रफल 0.0728 कुल खसरा 01 कुल क्षेत्रफल 0.0728 क्षेत्रफल किस्म बारानी तृतीय में से **0.0180** हैक्टेयर भूमि जिस पर विपक्षीगण मदनलाल एवं रामलाल का कब्जा है उस पर से मदनलाल पुत्र नाथूलाल एवं रामलाल पुत्र नाथूलाल को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। साथ ही विपक्षीगणों को निर्देशित किया जाता है कब्जा सिपुर्द करने के पश्चात् वादग्रस्थ खसरे पर दखलअन्दाजी ना करें न ही किसी अन्य से करावें। विवादित आराजी से वादीगण को पुनः बेदखल ना करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण दी जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार ड़िक्री मुर्तिब की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भील.)

नीज ....Nil.............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह मार्च वर्ष 2025 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा